न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :23/2018

1. गुरसेवक सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्री करणपुर हाल देशमेश नगर गली न. 3 कंधवाला रोड अबोहर ।

--प्रार्थीगण-

-

बनाम

1. मलकीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्री करणपुर।
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्री करणपुर।
3. बलविन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्री करणपुर।
4. शिवराज सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री मनजीत सिंह अधिवक्ता -:प्रार्थीगण की ओर से:-
2. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता -:अप्रार्थी संख्या 1,3,4 की ओर से:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : २२/१०/१९

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि चक 40 एफ के मु.न. 32 में कुल 12 वीघा 10 विस्वा भूमि परिवार के संयुक्त आय से खरीद की जाकर प्रार्थी के पिता मलकीत सिंह के नाम किला न. 4,7,14,17,24 कुल 5 वीघा भूमि दर्ज करवायी थी। तथा मु.न. 40 के किला न. 3-1/2,5,6,8,15,16,25 प्रार्थी के पिता को विरास्तन प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 बराबर के हिस्सेदार है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 इस भूमि में प्रार्थी को उसका हिस्सा दिए बगैर आगे बेचान करने की फिराक में है। चूकि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मलकीत सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण इस भूमि को आगे बेचान करना चाहते है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को रोका गया और कहा कि मेरे हिस्से की भूमि मेरे नाम करवाकर बाकी हिस्सा बेचान कर लो तो उन्होने इन्कार कर दिया यदि उन्होने ऐसा किया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के साथ अपना 1/5 हिस्सा भूमि की घोषणा अपने नाम से करवा पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, एवं राईट एंव टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 40 एफ के मु.न. 32 के किला न. 4,7,14,17,24 व इसी चक के मु0नं0 49 के किला न0 3-1/2,5,6,8,15,16,25 भूमि में 1/5 हिस्सा दिये बगैर उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय, ठेका पर देने, आगे अन्तरण किसी भी प्रकार से करने से बाज व ममनू रहें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,3,4 की और से पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 2 के उपस्थिति नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार चक 40 एफ के मु0न0 32 में 12 बीघा 10 विस्वा भूमि परिवार की सयुक्त आय से खरीद किये जाने के तथ्य गल्त

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंकित किये है सही यह है कि चक 40 एफ के मु0नं0 32 की 25 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मलकित सिंह व भाई ज्ञान सिंह पिसरान करतार सिंह व गुरबचन सिंह जसवन्त सिंह पिसरान मल सिंह द्वारा दिनांक 20.03.1971 को त्रिलोचन सिंह से बैय हिस्सा बरावर पंजीकृत बैयनामा से खरीद की थी जो कि स्वयं की आय से खरीद की थी । यह सम्पति अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें प्रार्थी या अन्य अप्रार्थी गण कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। यह कथन गल्त है कि चक 40 एफ के मु0 न0 49 के किला न0 3-1/2,5,6,8,15,16,25 प्रार्थी के दादा से विरास्तन प्राप्त हुई हो। सही यह है कि चक 40 एफ के मु0न0 49 की कुल 25 बीघा भूमि अप्रार्थी के पिता करतार सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। करतार सिंह की मृत्यु के बाद यह 25 बीघा भूमि करतार सिंह के 3 तीनों लड़को ज्ञान सिंह, मलकित सिंह व अमरजीत सिंह के नाम बैय हिस्सा बराबर विरास्तन इंतकाल संख्या 60 से दर्ज हुई। यह कथन गल्त है कि अप्रार्थी गण इस भूमि को आगे बैचान करने पर उतारू हो। वादगत् भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कानूनन रिकोर्डड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त नही किया जा सकता।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष में प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आये एंव वस्तुस्थिति प्रगट करे। अतिरिक्त कथन के शेष तथ्य जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार अंकित किये है। चक 40 एफ के मु0न0 49 की कुल 6.325 है0 नहरी भूमि में अप्रार्थी के नाम 1.982 है0 भूमि सांझा खाते में दर्ज है जिसमे प्रार्थी एंव अप्रार्थी गण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है जो प्रार्थी व शेष अप्रार्थी गण मुझ प्रार्थी की मृत्यु के बाद विरास्तन प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी कई बिमारियों से ग्रस्थ है जिसका जयपुर से इलाज चल रहा है जिस कारण अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि की आय से बढी मुशिकल से गुजार कर पाता है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 के जबाब के अनुरूप है जबाब स्टेट पेश नही पर बन्द किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1,3,4 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चक 40 एफ की जमा बन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 62/72 के मु0न0 32 की 1.265 है0 व इसी चक के खाता संख्या 32/73 के मु0न0 49 के कुल 6.325 है0 नहरी भुमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.982 है0 भूमि में अपने तथाकथित क्लैम किये गये 1/5 हिस्सा भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मु0न0 32 के 1.265 है0 भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति है मु0 न0 49 की 1.982 है0 भुमि में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु के बाद हिस्से अनुसार विरास्तन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से कोई हक या हिस्सा प्राप्त होना है या नही यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दूओं पर विचार किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 40 एफ की जमा बन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 62/72 के मु0न0 32 की 1.265 है0 व इसी चक के खाता संख्या 32/73 के मु0न0 49 के

(हरिचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

गुरसेवक सिंह बनाम मलकित सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 23/2018

कुल 6.325 है0 नहरी भुमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.982 है0 भूमि इस प्रकार दोनो खातों में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 3.247 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि की मौका व रिकॉर्ड यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक की बनाये रखे। इन दोनो खातों की शेष भूमि पर यह स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक २२/10/19.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मूलचन्द लूणिया
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर